न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 382/2017 जीसीएमएस संख्या 2017/00402

1. शेरसिंह पुत्र श्री प्रभूदयाल
2. सावित्री पत्नी श्री शेर सिंह जाति अहीर निवासीगण ग्राम बामनठेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत लुहादेरा पंचायत समिति तिजारा जिला अलवर जरिये सरपंच मनोज देवी

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर दिनांक 05.10.2017 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र सं. 239/17 बअनुवान ग्राम पंचायत बनाम शेर सिंह वगै0

उपस्थित—

1. श्री राजकुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक— 27.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के निर्णय दिनांक 05.10.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर में इस आशय का पेश कर पत्थरगढी करवाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया जिसमें निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 531 रकबा 0.32 है0 गैर मु0 रास्ता वाके ग्राम बामनढेडी तहसील तिजारा जिला अलवर स्थित है। उक्त आराजी गैर मु0 रास्ता की भूमि है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ग्राम पंचायत का सरपंच है तथा प्रार्थी को उक्त आराजी के समस्त किया कलापों की पूर्ण जानकारी है तथा सरपंच होन के नाते उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए अधिकृत है। उक्त वर्णित आराजी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। उक्त आराजी गैर मु0 रास्ता की भूमि है। दिनांक 19.05.2015 को तहसीलदार तिजारा के आदेशानुसार गठित टीम हल्का पटवारीगण, कानूनगो के द्वारा उक्त आराजी खसरा नम्बर 531 गैर मु0 रास्ता पर जाकर सीमांकन कर, मौका पर्चा तैयार किया गया तथा उक्त मौका पर्चा पर हल्का पटवारीगण व कानूनगों व उपस्थित ग्रामीण ने अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। अन्त में निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 531 रकबा 0.32 है0 गै0 मु0 रास्ता वाके ग्राम बामनठेडी, तहसील तिजारा जिला अलवर स्थित है। आराजी की पैमाईश के अनुसार पत्थरगढी कराई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 531 रकबा 0.32 है0 गैर मु0 रास्ता वाके ग्राम बामनढेडी तहसील तिजारा जिला अलवर दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार तिजारा को प्रार्थी की भूमि की नियमानुसार पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये गये हैं।
3. उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 05.10.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट शेरसिंह पुत्र श्री प्रभूदयाल वगै0 द्वारा यह अपील स्वीकार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर दिनांक 05.10.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, तिजारा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय दिनांक 05.10.2017 जिसमें प्रार्थना पत्र पत्थरगढी था, विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय किया गया है। विवादित आराजी खसरा नं. 531 रकबा 0.32 है0 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम बामनठेडी तहसील तिजारा जिला अलवर के सम्बध में अपीलान्टा का एक अन्य वाद संख्या 121/16 बअनुवान शेरसिंह वगै0 बनाम ग्राम पंचायत लुहादेरा दावा इ तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज का अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें अपीलान्टान के आराजी के रकबे को नक्शा लटठा व नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जाना है। मिन अपीलान्टान के हक हकूको को जायल करने की गरज से तथा अपीलान्टान के वाद को बेमायने करने की गरज से मिन अपीलान्टान के हकूको पर कुठाराघात करने के उद्दे य से अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय प्राथमिक पारित कराया है। मिन अपीलान्टान ने एक वाद इ तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हु0ई0 म ाअरे इसके कि दुरूस्ती इन्द्राज हाल नक्शा जिसमें हाल आराजी खसरा नं. 523 रकबा 0.14 है., 524 रकबा 0.13 है., 525 रकबा 0.10 है., 526 रकबा 0.14 है., 527 रकबा 0.15 है., 528 रकबा 0.40 है., 529 रकबा 0.28 है., 530 रकबा 0.48 है. वाके ग्राम बामनठेडी तहसील तिजारा जिला अलवर में अपीलान्टान का साबिक नक्शा में 65 गटठा है, को गलत तौर पर अपीलान्टान की आराजी के हिस्से की भूमि को आराजी खसरा नं. 531 रकबा 0.32 है., गैर मुमकिन रास्ता की भूमि के नक्शा ट्रेस व नक्शे में मिलाकर अपीलान्टान का रकबा कम दर्ि ति कर, 63 गटठा कर दिया है। उक्त नक्शा ट्रेस में किये इन्द्राज को कलमजन किया जाकर नक्शे को दुरूस्त किया जावे तथा हु0ई0 व दवामी प्रतिवादी ग्राम पंचायत अपीलान्टान के हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करे। उक्त अनुवान का वाद अपीलान्टान की ओर से पेश किया गया है, जो विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय दिनांक 05.10.2017 को पारित किया है, जिसके बने रहने से अपीलान्टान के हकूको पर कुठाराघात होता है तथा उक्त आलौच्य निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट अपीलान्टान की आराजी को खुर्द बुर्द करने व नया रास्ता कायम करने व डौल तोडने की जुस्तजू में है। जिससे अपीलान्टान को अपने हकूको की रक्षार्थ यह अपील पे ा करना आवश्यक हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा प्राथमिक निर्णय दिनांक 05.10.2017 को अपास्त फरमाई जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.05.2017 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट नं. 1 की आराजी खसरा नम्बर 531 रकबा 0.32 है0 गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम बामनठेडी तहसील तिजारा जिला अलवर की नियमानुसार पत्थरगढी कराने के आदेश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट उनुवानी ग्राम पंचायत लुहादेरा पंचायत समिति तिजारा जिला अलवर बनाम शेर सिंह व अन्य का प्रार्थना पत्र 128 प्रार्थना पत्र संख्या 239/2017 पेश किया। प्रार्थी/रेस्पों. 1 के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को नोटिस

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जारी होने के पश्चात सभी पक्षों को सूचना व सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दिनांक 05.10.2017 को पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये गये। रेस्पोंडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2017 पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर दिनांक 05.10.2017 यथावत रखा जाता है ।

(डॉ.आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।